न्यायालय विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एंव आवासन विभाग, राज॰ज॰
(हाल कार्यालय राज॰आवासन मण्डल, जयपुर)

क्र॰ओ॰एस॰डी॰/नविआ/91/ 1720

दिनांक: 31 5-91

वाद संख्या:- 5/88/1
5/88/3
5/88/5
5/88/9
5/88/10
5/88/12
5/88/13
5/88/19
5/88/20
5/88/23
5/88/27
5/88/30
5/88/32
5/88/3[illegible]
5/88/39
5/88/45ए
5/88/49
5/88/51
5/88/53
5/88/55
5/88/58
5/88/60
5/88/63
5/88/65
5/88/68
5/88/69
5/88/71ए
5/88/43
5/88/67

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

विषय :- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवासीय कोलोनी बनाने हेतु अवाप्ति के अधीन भूमि का आंशिक अवार्ड योजना सांगानेर तृतीय की उपरोक्त वादों की कुल भूमि 55 बीघा 19 बिस्वा ।

पीठासीन अधिकारी :- 1- श्री जेठमल व्यास, विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज॰ जयपुर ।

पक्षकारान :- 1- भूमि के सभी सम्बन्धित खातेदार ।

2- राजस्थान आवासन मण्डल जरिये श्री नरहरि शर्मा सचिव, रा॰आ॰म॰, श्री सी॰एम॰ वर्मा तहसीलदार, रा॰आ॰म॰ एवं श्री जे॰के॰ सिंघी, एडवोकेट ।

1- राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय कोलोनी निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता हेतु राज्य सरकार ने अपनी विज्ञप्ति दिनांक 7-3-1988 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 4(1) (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भूमि अवाप्ति हेतु विज्ञप्ति राज॰ राजपत्र 16 जून 1988 में प्रकाशित कराकर सर्वे आदि करने हेतु अधिकृत किया तत्पश्चात् आवासन मण्डल के आवासीय कोलोनी के निर्माण हेतु भूमि की अवाप्ति की अति आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए धारा 17 की उप-धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर धारा 5 ए के प्रावधान लागू नहीं करते हुए धारा 6(4) (1) एवं 17(4) के अग्रेतर अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, मुख्यालय जयपुर को अपनी विज्ञप्ति नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की अधिसूचना जो भाग । [illegible] राज॰ राजपत्र जून 1987 में प्रकाशित हुई है के द्वारा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही करने एवं धारा 17 की (4) एवं धारा 9(1) में उल्लेखित नोटिस के प्रकाशन से 15 दिवस की समाप्ति पर अवाप्ति अधीन भूमि का कब्जा लेने के निर्देश दिये जिसकी अनुपालना में दिनांक 18-8-87 एवं 19-8-87 को भूमि का कब्जा लिया गया था तथा उसी दिन आवासन मण्डल को सौंपा गया ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 9(1) की अनुपालना में सार्वजनिक नोटिस क्र॰ 527 से 531 दिनांक 3-7-89 को जारी किये गये। इसके पश्चात केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 9(2) के अन्तर्गत क्लेम एवं खातेदारो के हित की एवज में उचित मुआवजे एवं पैमाइश, क्षेत्रफल के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु भी नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी करने पर खातेदारों की ओर से क्लेम पेश किए गये जो संलग्न पत्रावली है। खातेदारों ने अपने जवाब में मुख्यतः 1 लाख 26 हजार रू॰ प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा एवं कुंए आदि का मुआवजा 1 लाख माना गया है।

इसी प्रकार पेड़ों का मुआवजा फलदार पेड़ों में अमरूद 500 रू॰, अनार 200 रू॰, अरडू 300 रू॰, बेर 500 रू॰, करोंदा 400 रू॰, आंवला 400 रू॰, नींबू 800 रू॰ जामुन 500 रू॰ आम 800 रू॰, सपेदा 400 रू॰, नीम 500 रू॰, सेंजणा 400 रू॰, कुआ 10 रू॰ प्रति नग, खजूर 400 रू॰, खेजड़ा 400 रू॰, पापड़े 400 रू॰ इसी प्रकार फिर्नीशिंग चार्जेज में भी मुआवजा राशि की मांग की गई। रहने के लिए एक-एक भूखण्ड की भी मांग की गई।

राजस्थान आवासन मण्डल ने जवाब में भूमि की दर 25,000/- रू॰ प्रति बीघा दर्शाई है तथा अवाप्ति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा देने की सहमति जाहिर की है। भूखण्ड के बारे में बताया गया है कि प्रार्थी राजस्थान आवासन बोर्ड में पंजीकरण खुलने के उपरान्त पंजीकरण कराकर भूखण्ड प्राप्त कर सकता है। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा कुए आदि के तखमीने भी प्रस्तुत कर दिये है भूमि के बाजार भाव में मूल्यांकन के लिए खातेदारों की ओर से अलग-अलग दरों की रजिस्ट्री पेश की गई है। जिनमें मुख्यतः रजिस्ट्री सं॰ [illegible] दिनांक 30-8-8[illegible] ख॰न॰ 372, 10 बीघा बंजड़ भूमि 47,000/- रू॰ प्रति बीघा की दर से बेचने की पेश की है। एरोड्रम विस्तार के लिए बुद्धसिंहपुरा, मनोहरपुरा, [illegible] बाढरीवाला, खोखावास एवं सांगानेर की विभिन्न खसरा नम्बरों की भूमियों [illegible] अवाप्ति के लिए अवार्ड दिनांक 24-9-86 जो भूमि अवाप्ति अधिकारी, जिलाधीश कार्यालय जयपुर द्वारा पारित है की प्रति पेश की। इसमें धारा 4 की विज्ञप्ति दिनांक 8-6-82 को जारी हुई है, दर प्रति बीघा 33 हजार रू॰ [illegible] गई है।

इसी प्रकार अवार्ड दिनांक 18-9-90 जो रोकडे के लिए ग्राम [illegible]पुरा सांगानेर में 26 बीघा 11 बिस्वा भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में पेश किया [illegible] है, जिसमें

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन
राजस्थान, जयपुर

धारा 4 की विज्ञप्ति 21-10-89 की है तथा दर 56 हजार एवं 80 हजार रू॰ प्रति बीघा दी हुई है । विक्रय पत्र दिनांक 15-6-89 जो ख॰नं॰ 924 भूमि 1 बीघा 15 बिस्वा बारानी रकबा कुल •68 एअर इसमें 1/4 हि॰ क्रेताओं द्वारा 85 हजार रू॰ में खरीद करना बताया है, पेश किया है । इसकी दर 1 लाख 28 हजार रू॰ प्रति बीघा आती है । यह रकबा ग्राम श्योपुर तह॰ सांगानेर का है ।

विक्रय पत्र दिनांक 3-9-90 ख॰नं॰ 79 रकबा •19 एअर जो ग्राम सुखपुरा तह॰ सांगानेर का है । इसमें क्रेताओं द्वारा 1 लाख 4 हजार 500 रू॰ प्रति बीघा की दर से क्रय किया गया है । यह भूमि टोंक रोड़ पर सुखपुर गांव की आबादी से 1 कि॰मी॰ की दूरी पर स्थित बताई गयी है जो सांगानेर नगरपालिका से भी 5-6 कि॰मी॰ की दूरी पर है । इसी प्रकार एक विक्रय पत्र दिनांक 29-9-89 व 7-9-89 ग्राम ठिकरिया कर रजिस्ट्री 90 हजार रू॰ प्रति बीघा से बेचना बताया है । एक विक्रय पत्र 23-9-89 ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर जो 80 हजार रू॰ प्रति बीघा से विक्रय हुई बताई गई है । एक विक्रय पत्र दिनांक 26-11-88 ग्राम टीबा श्योपुर जो अवाप्तशुदा भूमि से 1 कि॰मी॰ दक्षिण पूर्व पर स्थित है को 52 हजार रू॰ प्रति बीघा से बेचान करना बताया है ।

इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया है कि गृह निर्माण सहकारी समिति इस क्षेत्र में 100 से 250 रू॰ तक प्रतिवर्गगज के हिसाब से भूखण्ड विक्रय कर रही है । विक्रय पत्र दिनांक 15-6-89 जो •68 एअर कृषि भूमि ग्राम श्योपुर में इसमें से 1/4 हि॰ 85 हजार रू॰ में विक्रय किया गया है तथा दूसरी रजिस्ट्री 26-11-88 जो ग्राम टीबा श्योपुर को 52 हजार रू॰ प्रति बीघा से बेची है (इसका ख॰नं॰ 843 है) पर विचार करने का आग्रह किया गया है । मुआवजा निर्धारण के सम्बन्ध में खातेदारों की ओर से वकील श्री भौंरीलाल शर्मा द्वारा लिखित बहस भी पेश की गई जिसमें विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों का हवाला दिया गया है । इन निर्णयों में मुख्य ए॰आई॰आर॰ 1971 दिल्ली पेज 257, ए॰आई॰आर॰ 1985 पेज 298, ए॰आई॰आर॰ 1980 पेज 225, ए॰आई॰आर॰ 1986 पेज 323 इलाहबाद डब्ल्यू॰सी॰ 608, ए॰आई॰आर॰ 1981 पटना पेज 81, ए॰आई॰आर॰ 1986 गुजरात पेज 24 डी॰बी॰, ए॰आई॰आर॰ 1986 दिल्ली पेज 105 डी॰बी॰, ए॰ आई॰आर॰ 1982 दिल्ली एन॰ओ॰सी॰ पेज 165 ए॰आई॰आर॰ 1986 पटना पेज 305 ए॰आई॰आर॰ 1973 दिल्ली पेज 102 डी॰बी॰, ए॰आई॰आर॰ 1974 सर्वोच्च न्यायालय पेज 787 ए॰आई॰आर॰ 1980 पेज 324 डी॰बी॰ ए॰आई॰आर॰ 1985

विशेषाधिकारी

सर्वोच्च न्यायालय पेज 104 एआईआर. 1975 सर्वोच्च न्यायालय पेज 1723 से उदाहरण प्रस्तुत किये है ।

लिखित बहस में इन्होंनें कुंआ, बोरिंग, डोले, पक्की नालियों, पाइप लाईनों आदि के लिए मुआवजा दिनांक 4-11-86 को बी.एस.आर. को दर भी दिलाने की मांग की है । भूखण्ड देने के बारे में ए.आई.आर. 1986 सुप्रीम कोर्ट पेज 2205 ए.आई. आर. 1988 सुप्रीम कोर्ट पेज 2036 ए.आई.आर. 1991 सुप्रीम कोर्ट पेज 90 का हवाला देकर निवास के लिए भूखण्ड देने की प्रार्थना की है । उन्होंने यह भूमि जयपुर हवाई अड्डे के नजदीक व उत्तर दिशा में 1/2 कि.मी. पर बिड़ला आयुर्वैदिक चिकित्सा संस्थान 2 कि.मी. पर मालवीय नगर एवं सांगानेर टाउन होने के कारण 1 लाख 25 हजार रू. प्रति बीघा बाजार दर से मुआवजा क्लेम किया है । राज.आ.म. दिनांक 21-7-88 को रजिस्ट्री सं. 878 पेश की है जो श्योपुर के ख.नं. 1446,1450 रकबा .52 एअर बारानी भूमि जो रेल्वे लाइन के पास इस स्कीम से करीब 3 कि.मी. दूर है 52 हजार 500 रू. में बेचने की प्रस्तुत की है । यह बारानी भूमि है जो रोड़ साईड पर नहीं है इसकी दर प्रति बीघा 24 हजार 230.86 रू. आती है ।

दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत सबूतों एवं प्रस्तुत रजिस्ट्री दस्तावेज एवं निर्णयों का अवलोकन किया एवं मौखिक बहस भी सुनी गई है जिस पर भी मनन किया व मोकामुआयना भी किया गया । राज.आ.म. द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्री में भूमि जो बेचान की गई है वह वर्तमान अवाप्त की जाने वाली भूमि से काफी दूर है जिससे इतनी कम दर वर्तमान भूमि के मुआवजे के लिए उचित प्रतीत नहीं होती । इसी प्रकार खातेदारों द्वारा ग्राम टीबा श्योपुर की दिनांक 15-6-89 की 1 लाख 26 हजार रू. प्रति बीघा की दर की रजिस्ट्री पेश की गई है । यह भी अवाप्त अधीन भूमि से 3-4 कि.मी. दक्षिण में है । अलग-अलग लोकेशन की भूमि के अलग-अलग उपयोग होते है तथा उनकी लोकेशन के अनुसार ही बाजार दर तय होती है ।

अतः यह बाजार दर भी इस मामले में लागू नहीं हो सकती । इस मामले में धारा 4 की विज्ञप्ति जून 1988 की है । अतः इस तिथि को जो बाजार दर प्रचलित थी, इसी को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना है । खातेदारों द्वारा जो रजिस्ट्री बताई गयी है वह 3-9-90, 29-9-90, 7-9-89 अर्थात् दिनांक 3-9-90, 15-6-89, 3-9-89 एवं 29-9-89 को बताई गई है । अतः यह दरें

विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

स्वीकार नहीं की जा सकती । इसके अलावा इनमें जो ग्राम सुखपुरिया की भूमि 1 लाख 40 हजार रू. प्रति बीघा ठीकरिया को 70 हजार रू. प्रति बीघा, महापुरा को 80 हजार रू. प्रति बीघा, सीतापुरा की 60 हजार प्रति बीघा दरें बताई गई है । यह अन्य राजस्व ग्रामों की भूमियों से संबन्धित है तथा इनकी लोकेशन भी अलग-अलग एवं अवाप्ति अधीन भूमि से काफी दूर होने से इन पर विचार नहीं किया जा सकता । इसके अलावा ख.नं. 372 की दिनांक 30-8-89 रजिस्ट्री प्रति बीघा 96 हजार रू. की पेश की गई है । यह सांगानेर की आबादी के पास होने से यह दर दिया जाना उचित नहीं है । क्योंकि अवाप्ति अधीन भूमि सांगानेर कस्बे से करीब 3-4 कि.मी. दूर स्थित है । तहसीलदार सांगानेर द्वारा भी श्योपुर की रजिस्ट्री सं. 1037 दिनांक 11-8-88 दर 26 हजार 666 रू. प्रति बीघा रजिस्ट्री सं. 1067 दिनांक 20-8-88 दर 25 हजार रू. प्रति बीघा रजिस्ट्री सं. 1445 दिनांक 28-11-88 दर 51 हजार 515 रू. प्रति बीघा तथा रजिस्ट्री संख्या 620 दिनांक 15-6-89 1 लाख 25 हजार रू. प्रति बीघा की दर से होना बताया गया है ।

मौके की स्थिति अनुसार तथा भूमि की वर्तमान एवं भविष्य में विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए अगस्त 1988 की जो दरें बताई गई है वे भी कम प्रतीत होती है । इसी प्रकार रा.आ.म. ने अवाप्त अधीन भूमि से दूर की भूमि की रजिस्ट्री पेश की है, जिस पर दर निर्धारण के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता । वर्तमान अवाप्ति अधीन भूमि चूंकि सांगानेर कस्बे से करीब 3 कि.मी. की दूरी पर तथा जयपुर टौंक सड़क के पास एवं राआ.म. की आवासीय कोलोनी के पास होने से आवासीय उपयोगिता में हुई वृद्धि एवं पोटेनशियलिटी के आधार पर बाजार दर तय करना उचित प्रतीत होता है एवं पूर्व में सांगानेर योजना प्रथम एवं द्वितीय के अवार्ड जो अवाप्ति अधीन भूमि के पास की भूमियों के लिए थी, जिसमें अगस्त 1983 को धारा 4 की विज्ञप्ति के आधार पर 26, 27 हजार रू. प्रति बीघा की दर अवार्ड क्र. 2058 दिनांक 29-12-88 से चिपती हुई जमीनों के लिए दिया गया था । अतः यह इस मामले में प्रासंगिक है । इस 26 हजार रू. की दर में 13% बैंक ब्याज के आधार पर वर्तमान अवाप्ति अधीन भूमि के लिए जो लगभग 48 हजार रू. प्रति बीघा आती है वृद्धि देकर तय करना उचित समझता हूं । बारानी दर 47 हजार रू. प्रति बीघा तथा सड़क के पास होने पर 1 हजार रू. प्रति बीघा की वृद्धि दी जावेगी । इसी प्रकार चाही जमीन के लिए 48 हजार रू. प्रति बीघा व सड़क के पास की भूमि पर 1 हजार रू. प्रति बीघा की वृद्धि से 49 हजार रू. प्रति बीघा तथा खड्डे व नाले के पास वाली भूमि की 46 हजार रू. प्रति बीघा दर तय करता हूं ।

विशेषाधिकारी
[illegible] राजस्थान, जयपुर

इसी प्रकार पेड़ पौधों के लिए सामान्यतया अमरूद 400 रू॰ अनार 100 रू॰ अरड़ू 200 रू॰ बेर 200 रू॰ करोंदा 200 रू॰ आंवला बड़ा 200 रू॰ छोटा 100 रू॰ नींबू 400 रू॰ जामून 350 रू॰ छोटा 200 रू॰ आम 800 रू॰ सफेदा बड़ा 200 रू॰ मध्यम 150 रू॰ छोटा 100 रू॰ नीम बड़ा 190 रू॰ मध्यम 190 रू॰ छोटा 100 रू॰ सेनणा 200 रू॰ कूपा 8 रू॰ प्रति नग लेसवे 200 रू॰ बबूल बड़ा 150 रू॰ मध्यम 100 छोटा 50 रू॰ खेजड़ा बड़ा 150 रू॰ मध्यम 100 रू॰ छोटा 50 रू॰ पापड़े 400 रू॰ कुंए एवं स्ट्रेक्चर्स के सम्बन्ध में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दिया गया तकमीना स्वीकार किया जाता है ।

प्रस्तुत न्यायालय के निर्णयों के तथ्य इन मामलों से भिन्न प्रकृति के है । 500 वर्गगज के भूखण्ड देने सम्बन्धी मांग का भी कानूनन कोई प्रावधान नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है । वर्तमान में मुआवजा निर्धारण को जाने वाली भूमि का विवरण इस प्रकार है :-

क्र०सं०	वाद संख्या	खातेदार का नाम	ख॰नं॰	रकबा बीघा-बिस्वा
1	2	3	4	5
1-	5/88/1	शिवराजसिंह पुत्र कल्याणसिंह (कायमसिंह)	42 मि॰	2-14
2-	5/88/3	हीरा, छोटू पिता भैरू खटी	625	0-02
3-	5/88/5	काना, धन्ना, कल्याण,	251	0-14
		रामेश्वर पिता मोत्या	120	0-15
4-	5/88/9	देवराजसिंह पुत्र शिवराजसिंह	118/1625	0-08
			119	1-06
			119/1415	0-05
			120/1417	0-10
			124 मि॰	0-10
			125	1-04
				4-18

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

1	2	3	4	5
5-	5/88/10	शिवराजसिंह पुत्र कायमसिंह	118/1414	0-16
			118	1-00
			121	0-16
			122	0-13
			123	0-14
			124 मि॰	0-11
			219	0-15
			120/1416	0-18
				6-03
6-	5/88/12	गोपो,लाला,पि॰नारायण	282	0-14
			286	0-01
				0-15
7-	5/88/13	गुलाबसिंह पुत्र अजीतसिंह	225	0-10
			226	0-11
			232/233	1-09
			234	0-05
			235	0-09
			236	0-06
			237	0-11
			226/1423	0-02
			226/1426	0-04
			238/239	0-15
			240	0-02
			241	0-11
			242	0-02

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास ... विभाग
राजस्थान, जयपुर

1	2	3	4	5
			243/244	0-18
			245	0-11
				7-02
8-	5/88/19	नारायण, जगन्नाथ पिता गोपी धानका ।	615	0-04
9-	5/88/20	घासी पुत्र लच्छू कुम्हार	104	0-06
			105	0-10
			106	0-02
			107	0-05
				1-03
10-	5/88/23	गंगाराम, नृसिंह पिता घासी	544	0-01
			545	0-09
			546	0-07
				0-17
11-	5/88/27	चन्द्रशेखर, जगमोहन पिता गणेश	70	0-10
			98	0-03
				0-13
12-	5/88/30	शिवप्रसाद, रमेशचन्द्र पितस जगदीश नारायण	419	0-09
13-	5/88/32	शिवप्रसाद रमेशचन्द्र पिता जगदीश नारायण	348	1-01
			349	0-11
			350	0-11

1	2	3	4	5
14-	5/88/38	नानगा पुत्र मांग्या कुम्हार	263	1-12
			264	0-02
				1-14
15-	5/88/39	छोटोलाल,भंवरलाल,ग्यारसीलाल पुत्र नारायण	252	0-18
16-	5/88/45ए	बन्शी घासो पिता जैन्या माली	47	0-03
			48	0-11
			62	0-12
				1-06
17-	5/88/49	रामदेव,भैंरू पिता भूरा धानका	280	0-12
			384	0-12
			387	0-19
			388	0-08
			389	0-14
			390	0-02
			412	0-06
			412/1434	0-02
			384/1433	0-02
			414/1350	0-08
				4-05
18-	5/88/51	भैंरू पुत्र चन्दा	554	0-05
			555	
			553	0-04
			562	0-06
				0-15

अधिकारी
नगरीय विकास ... विभाग
राजस्थान, जयपुर

1	2	3	4	5
19-	5/88/53	रामचन्द्र,गोपाल,लाला,रामेश्वर	261	0-02
			262	0-15
				0-17
20-	5/88/55	गोपाल,रामपाल पिता महादेव	270	0-02
			272	1-05
				1-07
21-	5/88/58	मेवा पुत्र गोविन्दा मालो	63	0-04
			64	0-15
			65	0-03
			66	0-03
			67	0-02
			68	0-09
			69	0-13
			69/1411	0-01
				2-10
22-	5/88/60	राधेश्याम,गोविन्दनारायण पिता भौंरोलाल	167	0-03
			186	0-14
			187	0-08
			188	0-07
			189	0-03
			204	0-12
			205	0-03
			206	0-06
			207	0-04
			208	0-09

उप निदेशक/अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

1	2	3	4	5
			166	0-15
				4-04
23-	5/88/63	मांगीलाल प्रभूपि· श्रवण 2/3हि·	285	0-13
		सीताराम,गोपाल,हनुमान पि·	368	0-07
		गोविन्द नारायण 1/3हि·	369	0-02
			370	0-16
				1-18
24-	5/88/65	पांचू पुत्र श्योचन्दा माली	99	0-02
			100	0-07
			101	0-11
				1-00
25-	5/88/68	गोपाल पुत्र श्योकरण	273	0-18
			275	0-03
			283	0-10
			284	0-02
				1-13
26-	5/88/69	तोजा बेवा आन्या	619/1482	0-07
27-	5/88/71ए	रामदेव भैंरू पि· भूरा धानका	389/1433	0-02
28-	5/88/43	नारायण, नंदलाल, बाबूलाल	548	0-09
		पिता पूरा रैगर	549	0-05
			550	0-04
			650	0-05

विशेषाधिकारी
ग्रामीण विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

1	2	3	4	5
			652	0-02
			654	0-07
			655	0-16
			658	
			659	0-15
			660	
			661	1-02
			653	
				4-05
29-	5/88/67	भौंरोलाल पुत्र हीरा 1/2हि· गुलाबचन्द, गोपाल, खेमचन्द, बाबूलाल,बालचंद,सीताराम हि 1/2	397	0-04
			398	0-06
			399	0-06
			400	0-03
			624	2-11
			626	0-06
			627	0-04
			628	0-04
			629	0-05
			630	0-10
			401	0-06
			402	0-05
			392	0-10
			393	0-13
			394	0-17
			395	0-09
			631	0-10
				8-05

विशेषाधिकारी
ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग
राजस्थान, जयपुर

खातेदारो को दिये जाने वाली मुआवजे की राशि की गणना अलग-अलग इस प्रकार की जाती है :-

वाद संख्या	5/88/1
खातेदार का नाम	श्री शिवराज सिंह पुत्र श्री कायमसिंह

1–	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा बीघा 2 बिस्वा 14 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 48,000/- रू॰ प्रति बीघा ।	राशि 1,29,600·00
2–	पेड़, पौधे, डोला, कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	10,642·88
3–	योग (1 + 2)	1,40,242·88
2–	धारा 23·1ए के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-6-88 से 18-8-89 तक (कुल 429 दिन)	19,780·00
3–	धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्त राशि	42,072·86
4–	योग (1 + 2 + 3)	2,02,095·74
5–	दिनांक को भुगतान प्राप्त राशि (80%)	–
6–	शेष भुगतान योग्य राशि	2,02,095·74
7–	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 18-8-89 से दिनांक 17-8-90	18,188·61
8–	दिनांक ~~17-8-90 तक भुगतान~~ योग्य राशि 27-3.91 Paid	2,20,284·35 (–) 54,000·00

नोट :- रू॰ 2,02,095·74 पर दिनांक 18-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या	5/88/3
खातेदार का नाम	भौंरोलाल पुत्र श्री होरा हि॰ 1/2 गुलाब चन्द,गोपाल,प्रेमचन्द,बाबूलाल,बालचन्द, सीताराम, छोटू हि॰ 1/2

		राशि
1-	भूमि को कोमत अन्तर्गत धारा 23॥1॥ रकबा बोघा - बिस्वा 02 ग्राम श्योपुर भूमि को दर 49,000/- रू॰ प्रति बोघा	4,900·00
2-	पेड़,पौधे,डोला,कुंआ व अन्य निर्माण का तकमोना मण्डल के अनुसार	24,792·32
3-	योग ॥ 1 + 2 ॥	29,692·32
2-	धारा 23·1ए के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-8-88 से दिनांक 17-8-89 तक ॥कुल 429 दिन॥	4,187·83
3-	धारा 23॥2॥ के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्त राशि	8,907·69
4-	योग ॥ 1 + 2 + 3 ॥	42,787·84
5-	दिनांक को भुगतान प्राप्त राशि ॥ 80% ॥	-
6-	शेष भुगतान योग्य राशि	-
7-	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% को दर से ब्याज दिनांक 18-8-89 से दिनांक 17-8-90	3,850·90
8-	दिनांक 17-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	46,638·74

नोट :- रू॰ 42,787·84 पर दिनांक 18-8-90 से भुगतान को तिथि तक 15% को दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय को जावेगी ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या 5/88/5

खातेदार का नाम श्री काना, धन्ना, कल्याण, रामेश्वर पुत्रान
श्री मोरया कुम्हार नि॰ [illegible]

		राशि
1-	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा बीघा 0 बिस्वा 14 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 47,000/- रू॰ प्रति बीघा ।	32,900·00
2-	पेड़,पौधे,डोला,कुंआ व अन्य निर्माण का तखमीना मण्डल के अनुसार	200·00
3-	योग (1 + 2)	33,100·00
2-	धारा 23·1(ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-6-88 से 18-8-89 तक (कुल 427 दिन)	4,668·46
3-	धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	9,930·00
4-	योग (1 + 2 + 3)	47,698·46
5-	दिनांक 19-12-90 को भुगतान प्राप्त राशि (80%)	14,000·00
6-	18-8-90 शेष भुगतान योग्य राशि	33,698·46
7-	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 18-8-89 से दिनांक 17-8-90	3,032·86
8-	दिनांक 17-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	36,731·32

नोट :- रू॰ 33,698·46 पर दिनांक 18-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
[illegible] विभाग

वाद संख्या 5/88/9

खातेदार का नाम श्री देवराज सिंह पुत्र श्री शिवराजसिंह

1-	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23﴾1﴿ रकबा बीघा 4 बिस्वा 18 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 49,000/- रू० प्रति बीघा ।	राशि 2,40,100·00
2-	पेड़, पौधे, डोला, कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	95,153·55
3-	योग ﴾ 1 + 2 ﴿	3,35,253·55
2-	धारा 23·1﴾ए﴿ के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-6-88 से 18-8-89 तक ﴾कुल 429 दिन﴿	47,284·52
3-	धारा 23﴾2﴿ के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	1,00,576·06
4-	योग ﴾ 1 + 2 + 3 ﴿	4,83,114·13
5-	दिनांक 18-8-89 को भुगतान प्राप्त राशि ﴾ 80% ﴿	98,000·00
6-	दिनांक 18-8-90 को शेष भुगतान योग्य राशि	3,85,114·13
7-	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 18-8-89 से दिनांक 17-8-90	34,660·27
8-	दिनांक 17-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	4,19,774·40

नोट :- रू० 3,85,114·13 पर दिनांक 18-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसको गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
नगरीय वि... विभाग

वाद संख्या 5/88/10

खातेदार का नाम श्री शिवराजसिंह पुत्र श्री कायमसिंह

		राशि
1-	भूमि को कीमत अन्तर्गत धारा 23 (1) रकबा बीघा 6 बिस्वा 3 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 49,000/- रू. प्रति बीघा ।	3,01,350·00
2-	पेड़, पौधे, डोला, कुंआ व अन्य निर्माण का तखमीना मण्डल के अनुसार	57,506·62
3-	योग (1 + 2)	3,58,856·62
2-	धारा 23·1 (ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-6-88 से 18-8-89 तक (कुल 428 दिन)	50,613·52
3-	धारा 23 (2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	1,07,656·98
4-	योग (1 + 2 + 3)	5,17,127·12
5-	दिनांक 18-8-89 को भुगतान प्राप्त राशि (80%)	1,23,000·00
6-	शेष भुगतान योग्य राशि	3,94,127·12
7-	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 18-8-89 से दिनांक 17-8-90	35,471·44
8-	दिनांक 17-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	4,29,598·56

नोट :- रू. 3,94,127·12 पर दिनांक 18-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
... आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या 5/88/12

खातेदार का नाम लाला पुत्र नारायण हि•1/2 जाति कुम्हार
सीताराम, भौंरोलाल पुत्रान गोपी, पुन्नीदेवी बेवा गोपी

		राशि
1-	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23॥1॥ रकबा बीघा 0 बिस्वा 15 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 48,000•00 रू• प्रति बीघा ।	36,000;00
2-	पेड़, पौधे, डोला, कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	740•87
3-	योग ॥ 1 + 2 ॥	36,740•87
2-	धारा 23•1॥ए॥ के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-6-88 से दिनांक 18-8-89 तक ॥ कुल 429 दिन ॥	5,181•97
3-	धारा 23॥2॥ के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	11,022•26
4-	योग ॥ 1 + 2 + 3 ॥	52,945•10
5-	दिनांक 18-8-89 को भुगतान प्राप्त राशि ॥ 80% ॥	15,000;00
6-	शेष भुगतान योग्य राशि	37,945•10
7-	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 18-8-89 से दिनांक 17-8-90	3,415•06
8-	दिनांक 17-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	41,360•16

नोट :- रू• 37,945•10 पर दिनांक 18-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
ग्रामीण विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या 5/88/13

खातेदार का नाम श्री गुलाबसिंह पुत्र श्री अजीतसिंह

		राशि
1-	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23॥1॥ रकबा बीघा 7 बिस्वा 02 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 49,000/- रू. प्रति बीघा ।	3,47,900·00
2-	पेड़,पौधे,डोला,कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	41,486·72
3-	योग ॥ 1 + 2 ॥	3,89,386·72
2-	धारा 23·1॥अ॥ के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-6-88 से 18-8-89 तक ॥कुल 429 दिन॥	54,919·52
3-	धारा 23॥2॥ के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	1,16,816·01
4-	योग ॥ 1 + 2 + 3 ॥	5,61,122·25
5-	दिनांक 13-7-90 को भुगतान प्राप्त राशि ॥80%॥	1,42,000·00
6-	शेष भुगतान योग्य राशि	4,19,122·25
7-	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 18-8-89 से दिनांक 13-7-90	45,658·43
	14-7-90 से 17-8-90 तक का ॥35 दिन॥	3,617·08
8-	दिनांक 14-7-90 तक भुगतान योग्य राशि	4,68,397·76

नोट :- रू. 4,19,122·25 पर दिनांक 18-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

पाद संख्या 5/88/19

खातेदार का नाम श्री नारायण, जगन्नाथ पुत्र श्री गोपी धाणका

		राशि
1-	भूमि को कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा बीघा 0 बिस्वा 4 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 47,000/- रू. प्रति बीघा ।	9,400·00
2-	पेड़,पौधे,डोला,कुंआ व अन्य निर्माण का तखमीना मण्डल के अनुसार	35·58
3-	योग (1 + 2)	9,435·58
2-	धारा 23·1ए के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-6-88 से 18-8-89 तक (कुल 429 दिन)	1,330·80
3-	धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	2,830·67
4-	योग (1 + 2 + 3)	13,597·05
5-	दिनांक 11-12-89 को भुगतान प्राप्त राशि (80%)	2,000·00
6-	शेष भुगतान योग्य राशि	11,597·05
7-	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 18-8-89 से दिनांक 11-12-89	388·91
	11,592·40 पर दिनांक 12-12-89 से 17-8-90 तक (249 दिन) का 9% ब्याज	712·02
8-	दिनांक 18-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	12,697·98

नोट :- रू. 11,597·05 पर दिनांक 18-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

भू-अवाप्ति अधिकारी

वाद संख्या 5/80/27

खातेदार का नाम श्री घासो पुत्र श्री लच्छू कुम्हार

	राशि
1- भूमि को कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा बीघा 1 बिस्वा 03 ग्राम श्योपुर भूमि को दर 49,000/- रू. प्रति बीघा ।	56,350.00
2- पेड़ पौधे,,डोला,कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	408.23
3- योग (1 + 2).	56,758.23
2- धारा 23.1(ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-8-88 से 18-8-89 तक (कुल 429 दिन)	8,005.24
3- धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	17,027.47
4- योग (1 + 2 + 3)	81,790.94
5- दिनांक 18-8-89 को भुगतान प्राप्त राशि (80%)	23,000.00
6- शेष भुगतान योग्य राशि	58,790.94
7- कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 18-8-89 से दिनांक 17-8-90	5,291.18
8- दिनांक 18-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	64,082.12

नोट :- रू. 58,790.94 पर दिनांक 18-8-90 से भुगतान को तिथि तक 15% को दर से ब्याज देय होगा जिसको गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय को जावेगी ।

(हस्ताक्षर)

भू-अवाप्ति अधिकारी

वाद संख्या 5/88/23

खातेदार का नाम गंगाराम, नृसिंह पुत्रान घासी जाति रैगर हिस्सा बराबर

		राशि
1-	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा बीघा 0 बिस्वा 17 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 46,000/- रू. प्रति बीघा ।	39,100·00
2-	पेड़, पौधे, डोला, कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	5,000·00
3-	योग (1 + 2)	44,100·00
2-	धारा 23·1 (ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-6-88 से 18-8-89 तक (कुल 429 दिन)	6,219·91
3-	धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	13,230·00
4-	योग (1 + 2 + 3)	63,549·91
5-	दिनांक 18-8-89 को भुगतान प्राप्त राशि (80%)	17,000·00
6-	शेष भुगतान योग्य राशि	46,549·91
7-	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 18-8-89 से दिनांक 17-8-90	4,189·49
8-	दिनांक 17-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	50,739·40

नोट :- रू. 46,549·91 पर दिनांक 18-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा। जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या 5/88/27

खातेदार का नाम चन्द्रशेखर,जगमोहन पुत्रान श्री गणेश हि॰ बराबर

		राशि
1-	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा बीघा 0 बिस्वा 13 ग्राम श्योपुर भूमि की कीमत दर 47,000·00 रू॰ प्रति बीघा ।	30,550·00
2-	पेड़,पौधे,डोला,कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	381·01
3-	योग (1 + 2)	30,931·01
2-	धारा 23·1(ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-6-88 से 18-8-89 तक (कुल 429 दिन)	4,362.54
3-	धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	9,279·30
4-	योग (1 + 2 + 3)	44,572·85
5-	दिनांक 18-8-89 को भुगतान प्राप्त राशि (80%)	13,000·00
6-	शेष भुगतान योग्य राशि	31,572·85
7-	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एकवर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 18-8-89 से दिनांक 17-8-90 31,572·85 पर	2,841·55
8-	दिनांक 18-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	34,414·40

नोट :- रू॰ 31,572·85 पर दिनांक 18-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी

वाद संख्या 5/88/30

खातेदार का नाम शिवप्रसाद·रमेशचन्द्र पुत्रान श्री जगदोश हि· 1/2 व गोविन्द नारायण पुत्र दामोदर हि 1/2

1–	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23§1§ रकबा बोघा 0 बिस्वा 9 ग्राम श्योपुर भूमि को दर 47,000/- रू· प्रति बोघा ।	राशि 21,150·00
2–	पेड़,पौधे,ढोला, कुंआ व अन्य निर्माणं का तकमीना मण्डल के अनुसार	751·30
3–	योग § 1 + 2 §	21,901·38
2–	धारा 23·1§ए§ के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-6-88 से 18-8-89 तक §कुल 429 दिन§	3,086·99
3–	धारा 23§2§ के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	6,570·41
4–	योग § 1 + 2 + 3 §	31,560·78
5–	दिनांक 19-12-89 को भुगतान प्राप्त राशि § 80% §	9,000·00
6–	शेष भुगतान योग्य राशि	22,560·78
7–	कब्जा प्राप्त करने को तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 18-8-89 से दिनांक 19-12-89	964·98
	31,560·78 पर 9% ब्याज § 124 दिन§	1,340·66
	20-12-89 से 17-8-90 तक §241 दिन§ 22,560·78	
8–	दिनांक 19-12-89 तक भुगतान योग्य राशि	24,866·42

नोट :- रू· 22,560·78 पर दिनांक 18-8-90 से भुगतान को तिथि तक 15% को दर से ब्याज देय होगा जिसको गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी

वाद संख्या 5/88/32

खातेदार का नाम शिवप्रसाद,रमेशचन्द्र पुत्रान श्री जगदीश महाजन हिस्सा बराबर

		राशि
1-	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा बीघा 2 बिस्वा 3 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 48,000·00 रू. प्रति बीघा।	1,03,200·00
2-	पेड़,पौधा,डोला,कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	1,333·95
3-	योग (1 + 2)	1,04,533·85
2-	धारा 23·1 (ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-6-88 से 18-8-89 तक (कुल 427 दिन)	14,743·56
3-	धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	31,360·15
4-	योग (1 + 2 + 3)	1,50,637·56
5-	दिनांक 8-11-89 को भुगतान प्राप्त राशि (80%)	43,000·00
6-	शेष भुगतान योग्य राशि	1,07,637·56
7-	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 18-8-89 से दिनांक 8-11-89 (83 दिन) 1,50,637·56 पर 9% ब्याज 9-11-89 से 17-8-90 तक (282 दिन) का 1,07,637·56 पर 9%	3,082·91 7,484·49 1,18,204.96

8- 1,07,541·44 पर दिनांक 18-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा। जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी।

वाद संख्या 5/88:38

खातेदार का नाम नाथू पुत्र श्री नानगा, धापू पत्नी श्री नानगा कुम्हार

1–	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा बीघा 1 बिस्वा 14 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 47,000/– रू. प्रति बीघा ।	राशि 79,900·00
2–	पेड़,पौधा,डोला,कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	842·23
3–	योग (1 + 2)	80,742·23
2–	धारा 23·1(ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-6-88 से 18-8-89 तक (कुल 429 दिन)	11,387·97
3–	धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	24,222·67
4–	योग (1 + 2 + 3)	1,16,352·87
5–	दिनांक 19-12-89 को भुगतान प्राप्त राशि (80%)	34,000·00
6–	18-8-90 शेष भुगतान योग्य राशि	82,352·87
7–	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 18-8-89 से दिनांक 19-12-89	3,557·52
	1,16,352·87 पर (124 दिन) का 20-12-89 से 17-8-90 तक की अवधि (241 दिन)	4,893·79
8–	दिनांक 19-12-90 तक भुगतान योग्य राशि	90,804·18

नोट :– रू. 82,352·87 पर दिनांक 18-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी

वाद संख्या 5/88/39

खातेदार का नाम छोटोलाल, भंवरनाथ, ग्यारसीलाल पुत्र श्री नारायण जोगी हिस्सा बराबर

		राशि
1-	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा बीघा 0 बिस्वा 18 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 47,000/- रू. प्रति बीघा ।	42,300·00
2-	पेड़, पौधे, डोला, कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	573·75
3-	योग (1 + 2)	42,873·75
2-	धारा 23·1 (ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से 16-6-88 से 18-8-89 तक (कुल 429 दिन)	6,046·96
3-	धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	12,862·12
4-	योग (1 + 2 + 3)	61,782·83
5-	दिनांक 19-12-89 को भुगतान प्राप्त राशि (80%) (-)	18,000·00
6-	18-8-90 शेष भुगतान योग्य राशि	43,782·83
7-	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 18-8-89 से दिनांक 19-12-89	1,889·03
	61,782;83 पर 124 दिन का	
	20-12-89 से 17-8-90 तक (241 दिन का 43,782·83	2,601·78
8-	दिनांक 18-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	48,273·64

नोट :- रू. 43,782·83 पर दिनांक 18-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

उपजिलाधिकारी

वाद संख्या 5/88/43

खातेदार का नाम नानगराम, नन्दलाल, बाबूलाल पिता पूरा रैगर

1-	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा बीघा 4 बिस्वा 05 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 48,000/- रू. प्रति बीघा 49,000/- रू.	राशि 2,07,350·00
2-	पेड़, पौधे, डोला, कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	25,718·80
3-	योग (1 + 2)	2,33,068·80
2-	धारा 23·1(ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 15-6-88 से 18-8-89 तक (कुल 429 दिन)	32,872·27
3-	धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	69,920·64
4-	योग (1 + 2 + 3)	3,35,861·71
5-	दिनांक 27-1-90 को भुगतान प्राप्त राशि (80%) (-)	44,775·38
6-	27-4-90 को शेष भुगतान योग्य राशि	2,91,086·33
7-	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 18-8-89 से दिनांक 27-1-90 (161 दिन)	13,333·24
	28-1-90 से 18-8-90 (202 दिन)	14,498·49
8-	दिनांक 18-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	3,18,918·06

नोट :- रू. 2,91,086·33 पर दिनांक 19-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

वाद संख्या	5/88/45 ﴾ए﴿
खातेदार का नाम	बन्शी पुत्र जैना माली हि॰1/2 नन्दा, ग्यारसीलाल, कान्ता, सीताराम, भौंरीलाल पि॰ घासी हि॰ 1/2

		राशि
1–	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23﴾1﴿ रकबा बीघा 1 बिस्वा 6 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 47,000/– रू॰ प्रति बीघा ।	61,100·00
2–	पेड़, पौधे, डोला, कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	200·00
3–	योग ﴾ 1 + 2 ﴿	61,300·00
2–	धारा 23·1﴾ए﴿ के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-6-88 से 18-8-89 तक ﴾कुल 429 दिन﴿	8,645·82
3–	धारा 23﴾2﴿ के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	18,390·00
4–	योग ﴾ 1 + 2 + 3 ﴿	88,335·82
5–	दिनांक 26-11-90 को भुगतान प्राप्त राशि ﴾ 80% ﴿ ﴾–﴿	26,000·00
6–	18-8-90 शेष भुगतान योग्य राशि	66,286.04
7–	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 18-8-89 से दिनांक 17-8-90	7,950·22
8–	दिनांक 18-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	70,206·04

नोट :– रू॰ 66,286.04 पर दिनांक 18-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

भू-अवाप्ति अधिकारी
... विभाग
... जयपुर

वाद संख्या 5/88/49

खातेदार का नाम रामदेव, भैरू, पुत्रान भूरा धानका हि· बराबर

		राशि
1–	भूमि को कोमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा बोधा 4 बिस्वा 5 ग्राम श्योपुर भूमि को दर 49,000/- रू. प्रति बोधा ।	2,08,250·00
2–	पेड़, पौधे, डोला, कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	44,222·83
3–	योग (1 + 2)	2,52,472·83
2–	धारा 23·1 (ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-6-88 से 18-8-89 तक (कुल 429 दिन)	35,609·04
3–	धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	75,741·84
4–	योग (1 + 2 + 3)	3,63,823·71
5–	दिनांक 18-8-89 को भुगतान प्राप्त राशि (80%) (–)	85,000·00
6–	18-8-90 शेष भुगतान योग्य राशि	2,78,823·71
7–	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 19-8-89 से दिनांक 18-8-90	25,094·13
8–	दिनांक 18-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	3,03,917·84

नोट :- रू. 2,78,823·71 पर दिनांक 19-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास ...

वाद संख्या 5/88/51

खातेदार का नाम भैरू पुत्र चन्दा रैगर

1-	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23﴾1﴿ रकबा बीघा 0 बिस्वा 15 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 48,000/- रु. प्रति बीघा ।	राशि 36,000·00
2-	पेड़,पौधे,डोला व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	75·00
3-	योग ﴾ 1 + 2 ﴿	36,075·00
2-	धारा 23·1 ﴾ए﴿ के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-6-88 से 18-8-89 तक ﴾कुल 429 दिन﴿	5,088·05
3-	धारा 23﴾2﴿ के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	10,822·50
4-	योग ﴾ 1 + 2 + 3 ﴿	51,985·55
5-	दिनांक 18-8-89 को भुगतान प्राप्त राशि ﴾ 80% ﴿	15,000·00
6-	18-8-90 शेष भुगतान योग्य राशि	36,985·55
7-	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 18-8-89 से दिनांक 17-8-90	3,328·69
8-	दिनांक 18-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	40,314·24

नोट :- रु. 36,985·55 पर दिनांक 18-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी

नगरीय वि... विभाग

वाद संख्या 5/88/53

खातेदार का नाम रामचन्द्,गोपाल,लाला,रामेश्वर पिता भौंरिया कुम्हार हिस्सा बराबर

1-	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा बीघा 0 बिस्वा 17 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 49,000/- रू. प्रति बीघा।	राशि 41,650·00
2-	पेड़,पौधे,डोला,कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	1,423·12
3-	योग (1 + 2)	43,073·12
2-	धारा 23·1(ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-6-88 से 18-8-89 तक (कुल 429 दिन)	6,075·08
3-	धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	12,921·93
4-	योग (1 + 2 + 3)	62,070·13
5-	दिनांक 30-11-89 को भुगतान प्राप्त राशि (80%) (-)	17,000·00
6-	18-8-90 शेष भुगतान योग्य राशि	45,070·13
7-	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 18-8-89 से दिनांक 30-11-89 62,070·13 पर (105 दिन का) 9% 1-12-89 से 17-8-90 (260 दिन का 45,070·13	 1,607·02 2,889·42
8-	दिनांक 18-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	49,566·57

नोट:- रू. 45,070·13 पर दिनांक 18-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी।

भू-अवाप्ति अधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या 5/88/55

खातेदार का नाम गोपाल,रामपाल,पुत्रान महादेव मीणा हि·बराबर

1-	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23§1§ रकबा बीघा । बिस्वा 7 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 48,000/- रू. प्रति बीघा ।	राशि 64,800·00
2-	पेड़,पौधे,डोला,कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	9,139·46
3-	योग § 1 + 2 §	73,939·46
2-	धारा 23·1§ए§ के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-6-88 से 18-8-80 तक §कुल 429 दिन§	10,428.50 22,181·83
3-	धारा 23§2§ के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	
4-	योग § 1 + 2 + 3 §	1,06,549.79,
5-	दिनांक 18-8-89 को भुगतान प्राप्त राशि § 80% §	§-§ 27,000·00
6-	18-8-90 शेष भुगतान योग्य राशि	79,549.79
7-	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एकवर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 18-8-89 से दिनांक 17-8-90 की अवधि । वर्ष का 79,549.79	7,159.49
8-	दिनांक 18-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	86,709.27

नोट :- रू. 79,549.79, पर दिनांक 18-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

२६

विशेषाधिकारी
...सिंचाई विभाग ... विभाग
... जयपुर

वाद संख्या	5/88/58
खातेदार का नाम	मेवा पुत्र श्री गोविन्द माली

		राशि
1-	भूमि को कीमत अन्तर्गत धारा 23﴾1﴿ रकबा बीघा 2 बिस्वा 10 ग्राम श्योपुर भूमि को दर 48,000/- रू॰ प्रति बीघा ।	1,20,000;00
2-	पेड़,पौधे,डोला,कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	33,345·02
3-	योग ﴾ 1 + 2 ﴿	1,53,345·02
2-	धारा 23·1 ﴾ए﴿ के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-6-88 से 18-8-89 तक ﴾ कुल 429 दिन ﴿	21,627·94
3-	धारा 23﴾2﴿ के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	46,003·50
4-	योग ﴾ 1 + 2 + 3 ﴿	2,20,976·46
5-	दिनांक 2-11-89 को भुगतान प्राप्त राशि ﴾ 80% ﴿	50,000·00
6-	18-8-90 शेष भुगतान योग्य राशि	1,70,976·46
7-	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज	
	दिनांक 18-8-89 से दिनांक 2-11-89 तक को अवधि 77 दिन का	4,195·52
	3-11-89 से 17-8-90 तक 288 दिन का	14,141·67
8-	दिनांक तक भुगतान योग्य राशि	1,87,313·65

नोट :- रू॰ 1,70,976·46 पर दिनांक 18-8-90 से भुगतान को तिथि तक 15% को दर से ब्याज देय होगा जिसको गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय को जावेगी ।

जिलाधिकारी

वाद संख्या 5/88/60

खातेदार का नाम गोविन्द नारायण पुत्र भौंरीलाल हि. 1/2
राजेन्द्रप्रसाद पुत्र श्री राधेश्याम हि. 1/2

		राशि
1-	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा बीघा 4 बिस्वा 4 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 49,000/- रू. प्रति बीघा ।	2,05,800·00
2-	पेड़, पौधे, डोला, कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	1,216·80
3-	योग (1 + 2)	2,07,016·80
2-	धारा 23·1 (ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-8-88 से 18-8-89 तक (कुल 429 दिन)	29,197·87
3-	धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	62,105·04
4-	योग (1 + 2 + 3)	2,98,319·71
5-	दिनांक को भुगतान प्राप्त राशि (80%)	–
6-	18-8-90 शेष भुगतान योग्य राशि	2,98,319·71
7-	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 18-8-89 से दिनांक 17-8-90	26,848·77
8-	दिनांक 18-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	3,25,168·48

नोट :- रू. 2,98,319·71 पर दिनांक 18-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा। जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

...कारी
...अवाप्ति विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या	5/88/63
खातेदार का नाम	मांगीलाल पुत्र श्रवण हि·1/3, प्रभू पुत्र श्रवण हि·1/3 व सीता:राम,गोपाल,हनुमान पुत्रान गोविन्दनारायण हि 1/3

1-	भूमि को कीमत अन्तर्गत धारा 23§1§ रकबा बीघा 1 बिस्वा 18 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 48,000/- रू· प्रति बीघा ।	राशि 91,200·00
2-	पेड़,पौधे,डोला,कुंआ व अन्य निर्माण का तखमीना मण्डल के अनुसार	45,756·54
3-	योग § 1 + 2 §	1,36,956·54
2-	धारा 23·1§ए§ के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-8-88 से 18-8-89 तक § कुल 429 दिन§	19,316·49
3-	धारा 23§2§ के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	41,086·96
4-	योग § 1 + 2 + 3 §	1,97,359·99
5-	दिनांक 19-12-89 को भुगतान प्राप्त राशि § 80% §	38,000·00
6-	18-8-90 शेष भुगतान योग्य राशि	1,59,359·99
7-	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 18-8-89 से दिनांक 19-12-89 § 124 दिन का, 1,97,359·99 पर	6,034·34
	20-12-89 से 17-8-90 § 241 दिन का§ 9%	9,469·91
8-	दिनांक 18-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	1,74,864·24

नोट :- रू· 1,59,359·99 पर दिनांक 18-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
विमान एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय राजस्थान

वाद संख्या 5/88/65

खातेदार का नाम पांचूराम पुत्र श्री श्योचन्दा जाति माली

1-	भूमि को कीमत अन्तर्गत धारा 23§1§ रकबा बीघा । बिस्वा - ग्राम श्योपुर भूमि को दर 48,000/- रू. प्रति बीघा ।	राशि 48,000·00
2-	पेड़,पौधे,होला,कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के के अनुसार	286·77
3-	योग §1 + 2§	48,286·77
2-	धारा 23·1§ए§ के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-6-88 से 18-8-89 तक §कुल 429 दिन§	6,810·42
3-	धारा 23§2§ के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	14,486·03
4-	योग §1 +2 + 3§	69,583·22
5-	दिनांक 18-8-89 को भुगतान प्राप्त राशि §80%§	20,000·00
6-	18-8-90 शेष भुगतान योग्य राशि	49,583·22
7-	कब्जा प्राप्त करने को तिथि से एक वर्ष तक 9% को दर से ब्याज दिनांक 18-8-89 से दिनांक 17-8-90	4,462·48
8-	दिनांक 18-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	54,045·70

नोट :- रू. 49,583·22 पर दिनांक 18-8-90 से भुगतान को तिथि तक 15% को दर से ब्याज देय होगा। जिसको गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय को जावेगी ।

राशि आयकर 2570/65 पत्रावली सं. 10/83§107§ उक्त राशि में से काटकर ही चैक बनाया जावें ।

[illegible] विभाग

वाद संख्या 5/88/67

खातेदार का नाम भौंरीलाल पुत्र हीरा 1/2, छोटा पुत्र गेंदा छटीक 1/2

1- भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1)		राशि
रकबा बीघा 8 बिस्वा 05		3,96,000·00
ग्राम श्योपुर भूमि की दर 48,000/- रू· प्रति बीघा ।		
2- पेड़,पौधे,डोला,कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार		38,752·09
3- योग (1 + 2)		4,34,752·09
4- धारा 23(1)(ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-8-88 से 18-8-89 तक (कुल 429 दिन)		61,317·90
5- धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि		1,30,425·62
6- योग (1 + 2 + 3)		6,26,495·61
7- दिनांक 18-12-89 को भुगतान प्राप्त राशि (80%)	(-)	82,500·00
8- 18-12-89 शेष भुगतान योग्य राशि		5,43,995·61
9- कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 18-8-89 से दिनांक 18-12-89 (122 दिन)		18,846·36
19-12-89 से 18-8-90 तक 9% 5,43,995·61 पर (243 दिन)		32,595·02
10- दिनांक तक भुगतान योग्य राशि		5,95,436·99

नोट :- रू· 5,43,995·61 पर दिनांक 19-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

वाद संख्या 5/88/68

खातेदार का नाम गोपाल पुत्र श्री श्योकरण बागा

		राशि
1-	भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा बीघा 1 बिस्वा 13 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 48,000/- रू. प्रति बीघा ।	79,200·00
2-	पेड़,पौधे,डोला,कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	629·54
3-	योग (1 + 2)	79,829·54
2-	धारा 23·1(ए) के अन्तर्गम 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-8-88 से 18-8-89 तक (कुल 429 दिन)	11,259·24
3-	धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	23,948·86
4-	योग (1 + 2 + 3)	1,15,037·64
5-	दिनांक को भुगतान प्राप्त राशि (80%)	-
6-	18-8-90 शेष भुगतान योग्य राशि	1,15,037·64
7-	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 18-8-89 से दिनांक 17-8-90 की अवधि (1 वर्ष) का ब्याज	10,353·38
8-	दिनांक 18-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	1,25,391·02

नोट :- रू. 1,15,037·64 पर दिनांक 18-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
... विभाग
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या 5/88/69
खातेदार का नाम तोजा बेवा आन्य रैगर

1- भूमि की कीमत अन्तर्गत धारा 23 (1)	राशि
रकबा बीघा - बिस्वा 7	16,800·00
ग्राम श्योपुर भूमि की दर 48,000/- रू. प्रति बीघा ।	
2- पेड़, पौधे, डोला, कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	540·00
3- योग (1 + 2)	17,340·00
2- धारा 23 (1)(ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-6-88 से 18-8-89 तक (कुल 429 दिन)	2,445·65
3- धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	5,202·00
4- योग (1 + 2 + 3)	24,987·65
5- दिनांक 19-7-90 को भुगतान प्राप्त राशि (80%) (-)	7,000·00
6- 18-8-90 शेष भुगतान योग्य राशि	17,987·65
7- कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 18-8-89 से दिनांक 19-7-90 24,987·65 पर (336 दिन का)	2,070·20
दिनांक 20-7-90 से 17-8-90 तक 17,987·65 पर 9% (29 दिन का)	128·62
8- दिनांक 18-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	20,186·47

नोट :- रू. 17,987·65 पर दिनांक 18-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगरीय विकास ...
राजस्थान, जयपुर

वाद संख्या 5/88/71 (ए)

खातेदार का नाम रामदेव, भैरू पुत्रान भूरा धाणका हि. बराबर

		राशि
1-	भूमि को कीमत अन्तर्गत धारा 23(1) रकबा बीघा 0 बिस्वा 2 ग्राम श्योपुर भूमि की दर 49,000/- रू. प्रति बीघा ।	4,900.00
2-	पेड़, पौधे, डोला, कुंआ व अन्य निर्माण का तकमीना मण्डल के अनुसार	691.10
3-	योग (1 + 2)	5,591.10
2-	धारा 23.1 (ए) के अन्तर्गत 12% अतिरिक्त मुआवजा राशि वार्षिक दर से दिनांक 16-8-88 से 18-8-89 तक (कुल 429 दिन)	788.57
3-	धारा 23(2) के अन्तर्गत 30% अनिवार्य अवाप्ति राशि	1,677.33
4-	योग (1 + 2 + 3)	8,057.00
5-	दिनांक 2-2-90 को भुगतान प्राप्त राशि (80%)	2,000.00
6-	18-8-90 शेष भुगतान योग्य राशि	6,057.00
7-	कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज दिनांक 18-8-89 से दिनांक 2-2-90 तक 7,061.10 का (169 दिन का)	335.74
	3-2-90 से 17-8-90 तक (196 दिन का)	292.72
8-	दिनांक 18-8-90 तक भुगतान योग्य राशि	6,685.46

नोट :- रू. 6,057.00 पर दिनांक 18-8-90 से भुगतान की तिथि तक 15% की दर से ब्याज देय होगा जिसकी गणना मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जावेगी ।

विशेषाधिकारी
नगर विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

उपरोक्त अवार्ड राजस्थान सरकार नगरीय विकास एंव आवासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 9॥36॥नविआ/3/83 दिनांक 30.5.91 के द्वारा अनुमोदित किया जाकर राज्य सरकार द्वारा पुष्टि कर दी गई हैं । अतः आज दिनांक 31.5.91 को भूमि के मुआवजें का अवार्ड उपरोक्तानुसार घोषित किया जाता हैं । अधिनियम की धारा ।2॥1॥ के अनुसार अवार्ड सभी पत्रावलियोंमेंशामिल फाईल किया जाकर धारा ।2॥2॥ के अन्तर्गत संबंधित खातेदारान् कों अवार्ड की प्रति सहित नोटिस भेजकर सूचित किया जावें तथा प्रतिलिपि शासन सचिव, नगरीय विकास एंव आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर व तहसीलदार सांगानेर को भी भेजी जावें ।

अवार्ड सरेइजलास घोषित किया गया । मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर के साथ दिनांक 31-5-91 को जारी किया गया ।

विशेषाधिकारी,
नगरीय विकास एंव आवासन विभाग,
राज0जयपुर ।

क्रमांक-:ओ0एस0डी0/नविआ/91/1720
दि. 31-5-91

प्रतिलिपि सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. श्रीमान् शासन सचिव, नगरीय विकासएंव आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर-।
2. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भुगतान करने हेतु ।
3. तहसीलदार, तहसील-कार्यालय, सांगानेर ।
4. संबधित खातेदार श्री..................

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

//-किशोर-//